है। तथापि, प्रत्येक परियोजनाओं के लिए संविदाओं पर बातचीत और अंतिम रूप देने का काम संबंधित राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार की प्रति गारंटी वाले मामलों के सिवाय भारत सरकार परियोजना प्रवर्तकों के साथ सीधे बातचीत करने का प्रस्ताव नहीं रखती है।

Allotment of Land to Cooperative Group Housing Societies by GNA

2490. SHRI RAJ NATH SINGH:
SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Sector 36 of the Greater Noida Authority has been earmarked for allotment to Cooperative Group Housing Societies; and

(b) if so, by when land is proposed to be allotted to the Sixteen Cooperative Societies with whom Memoranda of Understanding were signed by the GNA around three years ago?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) As reported by the Greater Noida Industrial Development Authority, allotment to members of Co-operative Housing Societies had been made in Sector-36 of Greater Noida Authority.

(b) Greater Noida Authority (GNA) has reported that it had entered into MOUs with 18 cooperative societies for taking over the land of these societies in Greater NOIDA's notified area and allotment of developed plots to the members of these societies in residential area of the Authority. The land of the Authority has not yet been transferred to the members of any society, though allotments have been made to their members in accordance with the MOUs.

On reviewing the matter, the GNA has found that the legal transfer of the title over the land from the societies would not be possible as some of the societies may have acquired land in excess of 12.50 acres, which is not legally permissible due to existing ceilling laws. Accordingly, the Authority has issued show-cause notices to these societies for declaring the MOUs void on account of their inability to legally transfer the title of the land.

The possession of the plots may be given only when the land of the society is legally transferred in the name of Greater Noida Authority and the members pay the full developmental charges.

विदेशी और निजी विद्युत कंपनियों द्वारा कार्य शुरू न किया जाना

2491. श्री नागमणि:
श्री ईश्वर दत्त यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उन बहुत-सी विदेशी और निजी कंपनियों ने जिन्हे कार्य करने की स्वीकृति मिल चुकी है, अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कंपनी वार क्या कारण है; और

(ग) विद्युत उत्पादन बढ़ाने और बिजली की मांग को पूरा करने की दृष्टि से इस मामले में क्या-क्या प्रयास किए जा रहे है?

विद्युत मंत्रालय में राय मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) भारतीय अथवा विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित की जा रही निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए राज्य और केन्द्रीय अभिकरणों से अनेक स्वीकृतियां प्राप्त करनी होती हैं। कंपनी को भारतीय वित्तीय संस्थानों/विदेशी बैंकों आदि से वित्त पोषण भी सुनिश्चित करने होते हैं। यह समय लगने वाली प्रक्रिया है। के०वि०प्रा० से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त 19 निजी विद्युत परियोजनाओं में से 11 परियोजनाएं, विवरण के अनुसार, स्वीकृतियों, करार को अंतिम रूप देने और वित्त संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करने के अभाव के कारण कार्य आरंभ करने में असमर्थ रही हैं। (नीचे देखिए)।

(ग) सरकार समय-समय पर निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं की प्रगति संबंधी मानीटरिंग करती रही है और आवश्यक निवेशों/स्वीकृतियों को प्राप्त करने के

लिए उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराती रही है। सरकार ने निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं की प्रगति और स्वीकृतियों में गति लाने संबंधी मानीटरिंग के लिए ऐक उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड का गठन भी किया है।

विवरण

उन प्रस्तावों की सूची जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है परंतु इन पर अभी तक कार्य आरंभ नहीं किए गए हैं

क्र० सं०	परियोजना का नाम/कम्पनी
1.	सूरत लिग्नाइट आधारित टीपीपी (मै० जीआईपीसीएल)
2.	भद्रावती टीपीएस (मै० सेन्ट्रल इंडिया पावर कं० लि०, निप्पन डेनरों इस्पात लि० द्वारा प्रवर्तित)
3.	विशाखापट्टनम टीपीएस (मै० हिन्दुजा नेशनल कारपोरेशन प्रा० लि०)
4.	टोरंगलू टीपीएस (मै० जिंदल ट्रैक्टेबल पावर कं० लि०)
5.	मंगलौर टीपीएस (कोजेंट्रिक्स इनर्जी इंक, यू०एस०ए० तथा जनरल इलैक्ट्रिक कैपिटल कारपोरेशन की सहायक)
6.	नैवेली टीपीएस-जीरो यूनिट (मै० एसटी-सीएमएस इलैक्ट्रिक कं०)
7.	पिल्लईपिकमलनलूर-सीसीजीटी (मै० डायना माकेवस्की पावर कं०)
8.	उत्तरी मद्रास टीपीएस-II (मै० वीडियोकोन पावर लि०)
9.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी (मै० जीएमआर वासवी पावर कारपोरेशन लि०)
10.	इब वैली टीपीएस (यूनिट 3 और 4) (मै० आईवीपीएल)
11.	बालागढ़ टीपीएस (मै० बीपीसीएल)

Construction of Oil Terminals by IOC in A.P.

2492. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY:
DR. ALLADI P. RAJKUMAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether IOC Proposes to construct oil terminals at Vijayawada, Rajahmundry, Visakhapatnam, Kakinada and Bulk depots at Peddapalli, Cuddapah, Nizamabad and Ongole; and

(b) by when the projects would be started, stating the target dates for completion of the projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) Yes, sir.

(b) The details of the projects and their status are as under:—

Location	Tankage	Status	Target Date for Completion
Vijayawada	50000 KL	Land acquisition in progress.	36 months after land take-over.
Rajamundri	29000 KL	Land acquisition in progress.	36 months after land take-over.
Visakhapatnam	60000 KL	Land is under identification.	36 months after land take-over.
Kakinada	60000 KL	Land taken over	End of 1999.
Peddapalli	7200 KL	Land under identification.	36 months after take-over of land.